

## जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-33

दिनांक 07.11.2022

थाना देवा पुलिस ने गोवध अधिनियम से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू, ठीहा आदि बरामद -

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.11.2022 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 630/2022 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम से सम्बन्धित तीन अभियुक्तगण 1. नसीम पुत्र सफीक निवासी ग्राम रजौली थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ, 2. वहीद अहमद पुत्र अलीजान, 3- शहीद अहमद पुत्र अली जान निवासीगण ग्राम मझगवां शरीफ थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को ग्राम बंजारन पुरवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से दो अदद नाजायज बोगदा लोहा, दो अदद नाजायज चाकू, एक अदद ठीहा, दो अदद रस्सी बरामद की गई।

अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है जो घुमंतू गोवंशीय पशुओं को एकान्त स्थानों पर ले जाकर उनका वध कर मांस को बेचा जाता है। दिनांक 03.11.2022 को अभियुक्तगण द्वारा सरसौंदी पुलिया के पास एक बाग में घटनाकारित की गई थी। अभियुक्तगण के विरुद्ध जनपद बाराबंकी सहित अन्य जनपदों में कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नसीम पुत्र सफीक निवासी ग्राम रजौली थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ
2. वहीद अहमद पुत्र अलीजान निवासी ग्राम मझगवां शरीफ थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी
3. शहीद अहमद पुत्र अलीजान निवासी ग्राम मझगवां शरीफ थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी

### बरामदगी-

1. दो अदद नाजायज बोगदा लोहा
2. दो अदद नाजायज चाकू
3. एक अदद ठीहा
3. दो अदद रस्सी

### पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री पंकज सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी ।
2. उ0नि0 सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 रमेश सिंह, का0 मनीष त्रिपाठी, का0 अजीत सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।
4. का0 बलवीर यादव, का0 मुकेश यादव का0 हरवंश कुमार, का0 भुवनेश कुमार थाना देवा जनपद बाराबंकी।